प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

सुरक्षित किया गया :05-08-2025

पारित किया गया :11-09-2025

निर्वाचन याचिका सं 11/2024

बीरेश ठाकुर पिता सत्यनारायण सिंह, उम्र लगभग 56 वर्ष, निवासी- मकान नंबर 169, वार्ड नंबर 9, ठाकुर पारा, कांकेर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्री भोजराज नाग निर्वाचित प्रत्याशी/संसद सदस्य, कांकेर संसद, कांकेर संसद, कांकेर संसदीय क्षेत्र क्रमांक 11, कांकेर, छत्तीसगढ़।

2. तिलक राम मरकाम निवासी-ग्राम पीढ़ापाल, पोस्ट-पीढ़ापाल, तहसील-कांकेर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।

3. सोन सिंह निवासी ग्राम- कोनगुड़ा, तहसील- फरसगांव, जिला- कोंडागांव, छत्तीसगढ़।

4. जीवन लाल मतलाम निवासी मकान नंबर 34, ग्राम- इरागांव, पोस्ट- इरागांव, तहसील- केशकाल, जिला- कोंडागांव, छत्तीसगढ़।

5. सुकचंद नेताम निवासी ग्राम, पोस्ट-मावलीपारा, तहसील-सरोना, ब्लॉक-नरहरपुर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।

6. विनोद नागवंशी निवासी बजरंगपारा, ग्राम-चेड़िया, तहसील-गुरुर, जिला-बालोद, छत्तीसगढ़।

7. थकेश महला पिता मकान नंबर 48, अंडीपारा, वार्ड नंबर 3, ग्राम- अंडी, तहसील- कांकेर, जिला- उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़।

8. भोजराम मांडवी निवासी गाँव-जवारतारा, पोस्ट-कोटारा, तहसील-चरमा, जिला-उत्तर बस्तर कांनिवासीर, छत्तीसगढ़।

---उत्तरवादीगण

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

याचिकाकर्ता हेतुः——श्री एस. सी. वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा ईशान वर्मा, अधिवक्ता।

उत्तरवादी संख्या 1 हेतु :——श्री बी. गोपा कुमार तथा श्री हिमांशु पांडे, अधिवक्तागण

(माननीय श्री नरेंद्र कुमार व्यास न्यायाधीश)

सी. ए. वी. आदेश

1. यह आदेश अंतरिम आवेदन संख्या 1/2024, चुनाव याचिका की स्वीकार्यता पर प्रारंभिक आपत्ति, जो उत्तरवादी संख्या 1 द्वारा सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर की गई है, के निराकरण से संबंधित है।

2. उत्तरवादी संख्या 1 ने आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत यह अंतरिम आवेदन मुख्य रूप से यह तर्क देते हुए दायर किया है किः

(क) निर्वाचन याचिका (जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में, "अधिनियम, 1951") की धारा 81, 82, 83 और निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 94-ए के उल्लंघन में दायर की गई है, क्योंकि अधिनियम, 1951 की धारा 81 के अनुसार निर्वाचन याचिका स्वयं उम्मीदवार द्वारा दायर की जानी चाहिए और इस प्रक्रिया का पालन न करना उक्त प्रावधान के विपरीत होगा और केवल इसी आधार पर निर्वाचन याचिका खारिज की जा सकती है।यह भी तर्क दिया गया है कि शपथ पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि याचिका की विषयवस्तु और आधार उनके अधिवक्ता के निर्देशों के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिससे स्पष्ट रूप से यह साबित होता है कि निर्वाचन याचिका याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई है। यह भी तर्क दिया गया है कि अधिनियम, 1951 की धारा 83 के अनुसार, निर्वाचन याचिका में उन महत्वपूर्ण तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए जिन पर याचिकाकर्ता निर्भर करता है।इसके अतिरिक्त, यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए किसी भी भ्रष्ट आचरण का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसमें कथित रूप से दोषी पक्षों के नामों का पूर्ण विवरण या विवरण भी शामिल हो, लेकिन इस मामले में, उत्तरवादी के विरुद्ध भ्रष्ट आचरण से संबंधित एक भी आरोप या तर्क नहीं दिया गया है, अतः निर्वाचन याचिका विचारणीय नहीं है और याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

(ख) यह भी तर्क दिया गया है कि चुनाव याचिका में दिए गए कथनों को सरसरी तौर पर देखने से यह स्पष्ट है कि निर्वाचन याचिका में लगाए गए सभी आरोप भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित निर्वाचन पर सवाल उठाने से संबंधित हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि भारत निर्वाचन आयोग को मामले में पक्षकार बनाया जाए, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग को मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया है, इसलिए वह आवश्यक पक्षकार को शामिल न किए जाने के कारण निर्वाचन याचिका को खारिज करने की प्रार्थना करता है ।यह भी तर्क दिया गया है कि 1961 के नियम 94-ए का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि याचिकाकर्ता को नियम 94-ए के तहत निर्धारित प्रपत्र 25 में एक अलग शपथ पत्र दाखिल करना होगा और उन सभी विवरणों को प्रस्तुत करना होगा जिन पर याचिकाकर्ता भ्रष्ट आचरण के संबंध में अपना मामला बनाना चाहता है, हालांकि अधिनियम के भाग VII की

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

धारा 123 में यह प्रावधान है कि भ्रष्ट आचरण के संबंध में पूर्ण अभिकथन तर्क का हिस्सा होना चाहिए, अन्यथा याचिका खारिज की जा सकती है।

3. उत्तरवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदन में उठाए गए अपने तर्कों को दोहराते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जी. बनाम श्रीरामा रेड्डी और अन्य बनाम रिटर्निंग ऑफिसर और अन्य के मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख दिया गया है , जो ए आई आर 2010 एस. सी. 113 में प्रकाशित हुआ था।उन्होंने आगे यह भी कहा कि अधिनियम, 1951 एक स्व–निहित संहिता है और यह विधि की सुस्थापित स्थिति है कि किसी विशेष विधि की व्याख्या करते समय, जो एक स्व–निहित संहिता है, न्यायालय को विधायिका के आशय पर विचार करना चाहिए।उन्होंने आगे यह भी कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हुकुमदेव नारायण यादव बनाम ललित नारायण मिश्रा मामले में (1974) 2 एससी 133 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 अधिनियम, 1951 एक पूर्ण अधिनियम है और इसका उल्लंघन करना अनुमेय नहीं है।

4. दूसरी ओर, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.सी. वर्मा, जिनकी सहायता श्री एम.एल. साहू कर रहे थे, ने आई ए संख्या 5 का उत्तर दाखिल किया है। मुख्य रूप से यह तर्क देते हुए कि निर्वाचन याचिका अधिनियम, 1951 की धारा 80, 80–ए, 100(1), 101 और 123 तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय नियम 2007 के अध्याय 18 वीं का अनुपालन करने के बाद दाखिल की गई है और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय नियम 2007 के नियम 295 के तहत रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा जांच के बाद इसे पंजीकृत किया गया है।आगे यह तर्क दिया गया है कि अधिनियम, 1961 की धारा 82 के तहत निर्वाचन आयोग को आवश्यक पक्षकार के रूप में पक्षकार बनाना गलत धारणा है।आगे यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा निर्वाचन याचिका विधि के अनुसार प्रस्तुत की गई थी और निर्वाचन याचिका के पृष्ठ संख्या 38 से स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि निर्वाचन याचिका स्वयं याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है, क्योंकि प्रत्येक पृष्ठ पर उनके हस्ताक्षर और सत्यापन हैं।इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियम, 1951 की धारा 83 का पूर्णतः अनुपालन किया गया है।अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माइकल बी फर्नांडीस बनाम सी के जाफर शरीफ और अन्य के मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख किया है, जो (2002) 3 एससीसी 521 में प्रकाशित हुआ है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. आगे यह तर्क दिया गया है कि निर्वाचन याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग के खिलाफ सभी आरोपों को विशिष्ट और विस्तृत विवरण के साथ प्रमाणित करते हुए निर्वाचन याचिका में स्पष्ट कथन दिए हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में कदाचार और महत्वपूर्ण विसंगतियों के संबंध में स्पष्ट रूप से कथन दिए हैं, जिसमें मशीनों के साथ छेड़छाड़ और प्रतिस्थापन की संभावना भी शामिल है, जिससे मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता के बारे में गंभीर चिंताएं उत्पन्न होती हैं।उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने उन महत्वपूर्ण तथ्यों का संक्षिप्त विवरण भी प्रस्तुत किया है जिन पर याचिकाकर्ता निर्भर है और उसने उत्तरवादी संख्या 1 के परिणाम को रद्द करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई किसी भी भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाते हुए यह निर्वाचन याचिका दायर नहीं की है।उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अधिनियम की धारा 83 1(क) के सभी प्रावधानों का अनुपालन

किया है, न कि अधिनियम की धारा 83 (1)(घ) के तहत। अतः याचिकाकर्ता के लिए निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र के माध्यम से ऐसी भ्रष्ट आचरण के आरोपों और उसके विवरण के समर्थन में याचिका के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 83(2) के प्रावधानों का अनुपालन किया है, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा याचिका के सभी पृष्ठ दाखिल किए गए हैं और सत्यापित किए गए हैं, जैसा कि याचिका के कंडिका 38 से स्पष्ट है, जिसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि इस याचिका के तथ्यों के पैरा 1 से 24 और याचिका के आधारों के कंडिका 1 से 12 की सामग्री उन्हें स्थानीय हिंदी में पढ़कर सुनाई गई है और समझाई गई है, जो आम निर्वाचन 2024 के अभिलेखों से प्राप्त उनके व्यक्तिगत ज्ञान के अनुसार सत्य हैं, और इस याचिका के आधारों के कंडिका 12 से 13 की सामग्री वकील से प्राप्त ज्ञान के अनुसार सत्य है और सत्य मानी जाती है।कंडिका 1 से 12 तक याचिकाकर्ता के निवेदन हैं और कंडिका 13 में वे कानूनी आधार दिए गए हैं जिन पर याचिकाकर्ता उत्तरवादी संख्या 1 पर आपत्ति जता रहा है। ये आधार केवल कानून की जानकारी रखने वाले व्यक्ति द्वारा ही समझे जा सकते हैं। अतः चुनाव याचिका प्रस्तुत करने में याचिकाकर्ता की ओर से कोई अनियमितता या अवैधता नहीं है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत उठाई गई आपत्ति खारिज की जानी चाहिए।अपनी तर्क को पुष्ट करने के लिए **उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उमेश चल्लियिल बनाम के.पी. राजेंद्रन (2008) 11 एससीसी 740 और भीम राव बसवंत राव पाटिल बनाम के. मदन मोहन राव और अन्य (2023) 18 एससीसी 231 के निर्णय का उल्लेख किया है .**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि चूंकि इस मामले पर पहले ही इस न्यायालय द्वारा विचार किया जा चुका है, इसलिए यह माना जाता है कि याचिकाकर्ता की ओर से कोई खामी नहीं थी और चूंकि याचिका याचिकाकर्ता द्वारा सत्यापित है और याचिका के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए गए हैं, इसलिए यह माना जाता है कि याचिका स्वयं याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई है और अधिनियम, 1951 की धारा 81 का अनुपालन किया गया है।अतः, उन्होंने उत्तरवादी संख्या 1 द्वारा दायर आई.ए. संख्या 5 को खारिज करने का अनुरोध किया।

7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।

8. अंतरिम आवेदन पर निर्णय हेतु, इस न्यायालय को चुनाव याचिका में किए गए निवेदनों पर संक्षेप में विचार करना होगा, जो इस प्रकार हैं:

(क) चुनाव याचिका में की गई प्रार्थना के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने कांकेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या 11 के चुनाव परिणाम को रद्द करने और याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध विजयी उम्मीदवार घोषित करने की प्रार्थना की है।याचिका में गुंडारदेही विधानसभा बूथ संख्या 157 और पेंड्रावन विधानसभा बूथ संख्या 188 पर दोषपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन से डाले गए अगणित वोटों और मनमाने ढंग से अमान्य घोषित किए गए डाक वोटों की पुनः गणना का निर्देश देने की भी प्रार्थना की गई है। याचिकाकर्ता ने विभिन्न नामित मतदान केंद्रों के 15 मतदान केंद्रों पर पुनः चुनाव और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कांकेर संख्या 11 के पुनः चुनाव की भी प्रार्थना की है।

(ख) चुनाव याचिका में यह तर्क दिया गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा चुनाव प्रक्रिया दुर्भावनापूर्वक संचालित की गई थी और चुनाव के संचालन में विभिन्न अनियमितताएं और कुप्रथाएं अपनाई गईं, जिससे चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ, जो 1951 के अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग द्वारा सूचीबद्ध ईवीएम संख्याओं और प्रपत्र 17–सी में दर्ज संख्याओं के बीच विभिन्न विसंगतियों को उजागर करते हुए चुनाव प्रक्रिया में संभावित छेड़छाड़ का आरोप लगाया है।याचिकाकर्ता ने चुनाव याचिका के कंडिका 8.1, 9, 10, 11 और 12 में सारणीबद्ध प्रपत्र में मतों के अंतर से संबंधित अनियमितताओं का भी आरोप लगाया है।यह भी तर्क दिया गया है कि कई मतदान केंद्रों से मतदान डेटा भेजने में पर्याप्त देरी हुई, जिससे डेटा भेजने की प्रक्रिया के माध्यम से परिणामों में हेरफेर की संभावना बढ़ जाती है। चुनाव आयोग द्वारा मतदान डेटा को समय पर और सुरक्षित रूप से भेजने में विफलता से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह पैदा होता है। यह भी तर्क दिया गया है कि अनियमितताओं के संबंध में चुनाव आयोग के समक्ष कई शिकायतें दर्ज की गई थीं, जिन्हें या तो नजरअंदाज कर दिया गया या उनका उचित समाधान नहीं किया गया। इस तथ्यात्मक आधार पर, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि चुनाव संचालन नियम 1961 (संक्षेप में, "नियम 1961") के नियम 49 का उल्लंघन हुआ है और कांकेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या 11 के चुनाव परिणाम को रद्द करने की प्रार्थना की है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(ग) चुनाव याचिका के कंडिका 8.1 से 8.16 में याचिकाकर्ता ने गोंडार्देही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 61 के संबंध में विभिन्न मतदान केंद्रों में अनियमितताओं का आरोप लगाया है, जैसा कि इस याचिका के इन कंडिका में वर्णित है।9. उत्तरवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस निवेदन पर कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 83 (ख) के अनुसार, याचिकाकर्ता को निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा अपनाए गए भ्रष्ट आचरण के बारे में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए और नियम 61 के प्रपत्र संख्या 25 के अंतर्गत विशिष्ट हलफनामा दाखिल करना चाहिए, इस न्यायालय द्वारा विचार किया जा रहा है।इस निवेदन को समझने के लिए, न्यायालय के लिए अधिनियम, 1951 की धारा 83 (ख) को उद्धृत करना उचित है, जो निम्नानुसार है:"

83. याचिका की विषयवस्तु।—(1) एक निर्वाचन याचिका–(ए) XXXXX

(ख) याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाए गए किसी भी भ्रष्ट आचरण का पूरा विवरण देगा, जिसमें इस तरह के भ्रष्ट आचरण को करने के लिए अभिकथित पक्षों के नामों का यथासंभव पूरा बयान तथा ऐसी प्रत्येक प्रथा के आयोग की तारीख तथा स्थान शामिल हैं।"

10. ऊपर उद्धृत तर्क से यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त प्रावधान वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि चुनाव याचिका याचिकाकर्ता द्वारा अपनाए गए भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाते हुए दायर नहीं की गई है।वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने यह रुख अपनाया है कि चुनाव आयोग द्वारा प्रक्रिया और नियमों का अनुपालन नहीं किया गया है और इसका विस्तृत उल्लेख चुनाव याचिका के अनुच्छेद 8, 9, 10, 11 और 12 में किया गया है, जिसके लिए रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों और सामग्री का मूल्यांकन आवश्यक है। अतः, विधि की सुस्थापित स्थिति को देखते हुए कि सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर आवेदन पर

निर्णय लेते समय, न्यायालय को केवल चुनाव याचिका में की गई दलीलों को देखना होता है, न कि निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा उठाई गई आपत्ति को।सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में हमेशा जांच के विषय रहे हैं।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दाहिबेन बनाम मामले में सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों पर विचार करते हुए... **अरविंदभाई कल्याणजी भानुसाली (गकजरा) (डी) कानूनी वारिसों और अन्य के माध्यम से, 2020 आई. एन. एस. सी. 450 में रिपोर्ट किए गए मामले में पैरा 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10 और 13 में निम्नलिखित कहा गया है:**

"12.5 इस प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय यह निर्धारित करेगा कि क्या वाद में किए गए दावे वैधानिक कानून या न्यायिक निर्णयों के विपरीत हैं, ताकि यह तय किया जा सके कि वाद को प्रारंभिक चरण में खारिज करने का मामला बनता है या नहीं।

12.6 इस स्तर पर, प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान और वाद को गुण–दोष के आधार पर खारिज करने के आवेदन में उठाए गए तर्क अप्रासंगिक होंगे, और उन पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है, न ही उन्हें विचार में लिया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12.7 आदेश VII नियम 11 के तहत शक्ति का प्रयोग करने की कसौटी यह है कि यदि वाद में किए गए कथनों को, जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, उनके साथ समग्र रूप से लिया जाए, तो क्या परिणामस्वरूप एक अध्यादेश पारित किया गया।यह परीक्षण लिवरपूल एंड लंदन एस.पी. एंड आई एसोसिएशन लिमिटेड बनाम एम.वी. सी सक्सेस आई एंड अन्य,4 में निर्धारित किया गया था, जो इस प्रकार है:"

139. क्या वादपत्र में वाद का कारण प्रकट होता है या नहीं, यह मूलतः तथ्य का प्रश्न है। लेकिन यह प्रकट होता है या नहीं, यह वादपत्र को पढ़कर ही पता लगाया जा सकता है। उक्त उद्देश्य के लिए, वादपत्र में किए गए कथनों पर विचार किया जाएगा। 12.5 इस प्रावधान के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय यह निर्धारित करेगा कि क्या वादपत्र में किए गए कथन वैधानिक कानून या न्यायिक निर्णयों के विपरीत हैं, ताकि यह तय किया जा सके कि वादपत्र को प्रारंभिक चरण में ही खारिज करने का मामला बनता है या नहीं।

12.6 इस स्तर पर, प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान और वादपत्र को गुण–दोष के आधार पर खारिज करने के आवेदन में दिए गए तर्क अप्रासंगिक होंगे, और उन पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है, न ही उन्हें विचार में लिया जा सकता है।

12.7 आदेश VII नियम 11 के तहत शक्ति का प्रयोग करने का मानदंड यह है कि यदि वादपत्र में किए गए कथनों को दस्तावेजों के साथ समग्र रूप से लिया जाए, तो उनकी संपूर्णता को सही माना जाना चाहिए। यह मानदंड इस बात का है कि क्या वादपत्र में किए गए कथनों को उनकी संपूर्णता में सही मानकर डिक्री पारित की जाएगी।"

हरदेश ओर्स (पी.) लिमिटेड बनाम हेडे एंड कंपनी5 के मामले में न्यायालय ने आगे कहा कि किसी वाक्य या अनुच्छेद को अलग करके पढ़ना उचित नहीं है।तथाकथित सार पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल उसके रूप पर।वादपत्र को बिना शब्दों को जोड़े या घटाए, जैसा है वैसा ही समझना चाहिए।यदि वादपत्र में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया कार्रवाई का कारण दर्शाते हैं, तो न्यायालय यह जाँच नहीं कर सकता कि आरोप वास्तव में सत्य हैं या नहीं।

12.8 यदि वादपत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर यह पाया जाता है कि वाद स्पष्ट रूप से परेशान करने वाला और निराधार है, और वाद करने का कोई अधिकार सिद्ध नहीं करता है, तो न्यायालय आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करने में न्यायसंगत होगा।

12.9 आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा वाद के किसी भी चरण में किया जा सकता है, चाहे वादपत्र पंजीकृत करने से पहले, प्रतिवादी को समन जारी करने के बाद, या वाद की समाप्ति से पहले, जैसा कि इस न्यायालय ने सलीम भाई बनाम महाराष्ट्र राज्य के निर्णय में कहा है। 7 यह तर्क कि एक बार विवाद्यक निर्धारित हो जाने पर मामला अनिवार्य रूप से विचारण के लिए जाना चाहिए, इस न्यायालय ने अजहर हुसैन (उपरोक्त) मामले में खारिज कर दी थी।

12.10 आदेश VII नियम 11 का प्रावधान अनिवार्य है।इसमें कहा गया है कि यदि खंड (क) से (ङ) में निर्दिष्ट कोई भी आधार सिद्ध हो जाता है, तो वादपत्र खारिज करदिया जाएगा। यदि न्यायालय को लगता है कि वादपत्र में वाद का कोई कारण प्रकट नहीं होता है, या वाद किसी कानून द्वारा वर्जित है, तो न्यायालय के पास वादपत्र को खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. "वाद का कारण" से तात्पर्य उन सभी तथ्यों से है जिन्हें वादी को अपने निर्णय के अधिकार का समर्थन करने के लिए, यदि उनका खंडन किया जाता है, सिद्ध करना आवश्यक होगा।इसमें उन तथ्यों का समूह शामिल है, जिन्हें वादी को मुकदमे में दावा की गई राहत पाने के लिए साबित करना आवश्यक है। स्वामी आत्मानंद बनाम श्री रामकृष्ण तपोवनम 8 मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया:"

24. वाद का कारण, इस प्रकार, प्रत्येक तथ्य है, जिसे चुनौती देने पर वादी को न्यायालय के निर्णय के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए साबित करना आवश्यक होगा।दूसरे शब्दों में, यह तथ्यों का एक समूह है, जो उन पर लागू कानून के साथ मिलकर वादी को प्रतिवादी के विरुद्ध राहत पाने का अधिकार देता है।इसमें प्रतिवादी द्वारा किया गया कोई कार्य शामिल होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्य के अभाव में, वाद का कोई कारण उत्पन्न नहीं हो सकता है।"यह केवल उस अधिकार के वास्तविक उल्लंघन तक सीमित नहीं है जिस पर मुकदमा दायर किया गया है, बल्कि इसमें वे सभी महत्वपूर्ण तथ्य शामिल हैं जिन पर यह आधारित है" (जोर दिया गया)

टी. अरविंदम बनाम टी.वी. सत्यपाल और अन्य 9 के मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत आवेदन पर विचार करते समय, यह निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या वादपत्र में कार्यवाही का वास्तविक कारण प्रकट होता है, या यह पूरी तरह से काल्पनिक है, निम्नलिखित शब्दों में:---

“5. ...विद्वान मुंसिफ को यह याद रखना चाहिए कि यदि वादपत्र को ध्यानपूर्वक (औपचारिक नहीं) पढ़ने पर यह स्पष्ट रूप से परेशान करने वाला और निराधार प्रतीत होता है, यानी कि इसमें वाद करने का स्पष्ट अधिकार प्रकट नहीं होता है, तो उन्हें आदेश VII, नियम 11, सी.पी.सी. के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसमें उल्लिखित आधार पूरा हो। और, यदि चालाकी से लिखे गए शब्दों ने वाद के कारण का भ्रम पैदा किया है, तो पहली सुनवाई में ही इसे जड़ से खत्म कर देना चाहिए...” (जोर दिया गया)

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरि शंकर जैन बनाम सोनिया गांधी मामले में, (2001) 8 एससीसी 233 में प्रकाशित मामले में, अधिनियम, 1951 की धारा 83(1)(ए) के प्रावधानों पर विचार करते हुए, जिसमें यह प्रावधान है कि चुनाव याचिका में उन महत्वपूर्ण तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए जिन पर याचिकाकर्ता निर्भर करता है, कंडिका 22 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः

22. आरपीए, 1951 की धारा 83(1)(ए) यह अनिवार्य करती है कि चुनाव याचिका में उन महत्वपूर्ण तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए जिन पर याचिकाकर्ता निर्भर करता है। इस न्यायालय के कई निर्णयों से यह सर्वविदित है कि जिन महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, वे वे तथ्य हैं जिन्हें लगाए गए आरोपों के समर्थन में सामग्री माना जा सकता है।दूसरे शब्दों में, वे ऐसे तथ्य होने चाहिए जो याचिका में लगाए गए आरोपों का आधार प्रदान करें और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अनुसार वाद का कारण बनें।वाद का कारण शब्द को संक्षेप में इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि इसका अर्थ वे सभी तथ्य हैं जिन्हें वादी को, यदि चुनौती दी जाती है, तो न्यायालय के निर्णय के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए सिद्ध करना आवश्यक होगा।एक भी महत्वपूर्ण तथ्य का छूट जाना वाद के कारण को अपूर्ण बना देता है और दावा अमान्य हो जाता है।पक्षकार का कार्य वाद के कारण का यथासंभव पूर्ण चित्र प्रस्तुत करना है, जिसमें अतिरिक्त जानकारी भी विस्तृत रूप से शामिल हो, ताकि प्रतिपक्ष को यह समझ में आ जाए कि उसे किस मामले का सामना करना होगा।

देखें सामंत एन. बालकृष्ण आदि बनाम जॉर्ज फर्नांडीज और अन्य आदि।(1969) 3 एससीआर 603, जितेंद्र बहादुर सिंह बनाम कृष्णा बिहारी – (1969) 2 एससीसी 433।केवल धारा के शब्दों को मंत्रोच्चार की तरह उद्धृत करना महत्वपूर्ण तथ्यों को बताने के बराबर नहीं है।महत्वपूर्ण तथ्यों में तथ्यों का सकारात्मक कथन और आवश्यकता पड़ने पर नकारात्मक तथ्य का सकारात्मक अभिकथन भी शामिल होगा।वी.एस. अच्युतानंदन बनाम पी.जे. फ्रांसिस और अन्य, (1999) 3 एससीसी 737 में, इस न्यायालय ने अपने कई निर्णयों के अवलोकन के आधार पर यह माना है कि महत्वपूर्ण तथ्य वे प्रारंभिक तथ्य हैं जिन्हें मुकदमे के दौरान किसी पक्ष द्वारा वाद का कारण सिद्ध करने के लिए साबित करना आवश्यक है। महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख न करना चुनाव याचिका के लिए घातक है और चुनाव याचिका दाखिल करने की निर्धारित समय सीमा के बाद ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल करने के लिए दलीलों में कोई संशोधन स्वीकार्य नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरकीरत सिंह बनाम अमरिंदर सिंह मामले में, (2005) 13 एससीसी 511 में निम्नलिखित निर्णय दिया है:"

'महत्वपूर्ण तथ्य' शब्द को न तो अधिनियम में और न ही संहिता में परिभाषित किया गया है।शब्दकोश के अनुसार, 'महत्वपूर्ण' का अर्थ है 'मौलिक', 'अत्यंत महत्वपूर्ण', 'बुनियादी', 'मुख्य', 'केंद्रीय', 'अत्यावश्यक', 'अत्यावश्यक', 'अनिवार्य', 'प्राथमिक' या 'प्राथमिक'।[बर्टन का कानूनी थिसॉरस, (तीसरा संस्करण);पृष्ठ 349]।इसलिए 'भौतिक तथ्य' वाक्यांश को वे तथ्य कहा जा सकता है जिन पर एक पक्ष अपने दावे या बचाव हेतु निर्भर करता है।दूसरे शब्दों में, 'भौतिक तथ्य' वे तथ्य हैं जिन पर वादी की कार्रवाई का कारण या प्रतिवादी का बचाव निर्भर करता है।किसे 'भौतिक तथ्य' कहा जा सकता है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा तथा सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है।हालाँकि, यह बिल्कुल आवश्यक है कि समस्त बुनियादी तथा प्राथमिक तथ्य जो कार्रवाई या बचाव के कारण के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए पक्ष द्वारा विचारण में साबित किए जाने चाहिए, वे भौतिक तथ्य हैं तथा पक्ष द्वारा अभिवचन में बताए जाने चाहिए।

"81. जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, वर्तमान मामले में, उत्तरवादी द्वारा अपनाई गई भ्रष्ट प्रथा के 'भौतिक तथ्यों' को याचिका में पूर्ण विवरण के साथ रखा गया था।यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कैसे श्री चहल, जो पंजाब सरकार में प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी थे, ने अधिकारियों द्वारा उनके विरुद्ध की गई शिकायतों तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में कई कार्य करके उत्तरवादी की सहायता की।यह भी बताया गया है कि कैसे एक पुलिस अधिकारी, श्री मेहरा, जो पुलिस अधीक्षक के पद पर थे, ने एक बैठक आयोजित करके तथा पोस्टर वितरित करके उत्तरवादी की मदद की।यह भी अभिकथित गया कि उत्तरवादी द्वारा चुनाव खर्च का सही तथा उचित लेखा नहीं रखा गया है।हालाँकि अपील की सुनवाई के समय, उत्तरवादी द्वारा खुद को 'पटियाला के महाराजा' के रूप में पेश करने के आरोप को अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा नहीं दबाया गया था, अन्य आरोपों के संबंध में चुनाव याचिहेतु में पूरा विवरण दिया गया था।उच्च न्यायालय , हमारी राय में, चुनाव याचिका में बताए गए तथ्यों तथा लगाए गए आरोपों की शुद्धता या अन्यथा में प्रवेश करने तथा याचिका को यह मानते हुए खारिज करने में पूरी तरह से अन्यायपूर्ण था कि उसने भौतिक तथ्यों को नहीं बताया तथा इस प्रकार कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं किया।हमारे सुविचारित विचार में, उच्च विचारण ने साक्ष्य की सराहना करने तथा मामले के गुण-दोष में प्रवेश करने के निषिद्ध क्षेत्र में कदम रखा, जो केवल चुनाव याचिका की सुनवाई के चरण में ही अनुज्ञेय होगा, न कि विचार के चरण में कि क्या चुनाव याचिका विचारणीय थी।

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वीरेंद्र नाथ गौतम बनाम मामले में फिर से महत्वपूर्ण तथ्यों को परिभाषित किया।सतपाल सिंह और अन्य बनाम मामले (2007) 3 एससीसी 617 में कंडिका 30,33 तथा 34 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"30 'महत्वपूर्ण तथ्य' शब्द को न तो अधिनियम में और न ही संहिता में परिभाषित किया गया है। शब्दकोश के अनुसार, 'महत्वपूर्ण' का अर्थ है 'मौलिक', 'अत्यंत महत्वपूर्ण', 'बुनियादी', 'मुख्य', 'केंद्रीय', 'निर्णायक', 'अत्यावश्यक', 'अत्यावश्यक', 'मुख्य', 'अपरिहार्य', 'प्राथमिक' या 'प्राथमिक'। [बर्टन की कानूनी थिसॉरस] इसलिए, 'महत्वपूर्ण तथ्य' उन तथ्यों को कहा जा सकता है जिन पर कोई पक्ष अपने दावे या बचाव के लिए निर्भर करता है।दूसरे शब्दों में, 'महत्वपूर्ण तथ्य' वे तथ्य हैं जिन पर वादी का वाद या प्रतिवादी का बचाव निर्भर करता है।किन विवरणों को 'भौतिक तथ्य' कहा जा सकता है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा तथा सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, यह बिल्कुल आवश्यक है कि समस्त बुनियादी तथा प्राथमिक तथ्य जिन्हें 'भौतिक तथ्य' अभिव्यक्ति न तो अधिनियम में परिभाषित किया गया है तथा न ही संहिता में।शब्दकोश के अर्थ के अनुसार, 'सामग्री' का अर्थ है 'मौलिक', 'महत्वपूर्ण', 'बुनियादी', 'कार्डिनल', 'केंद्रीय', 'महत्वपूर्ण', 'निर्णायक', 'आवश्यक', 'महत्वपूर्ण', 'अपरिहार्य', 'प्राथमिक' या 'प्राथमिक'।[बर्टन का कानूनी थीसॉरस, (तीसरा संस्करण);प.349]। इसलिए 'भौतिक तथ्य' वाक्यांश को वे तथ्य कहा जा सकता है जिन पर एक पक्ष अपने दावे या बचाव हेतु निर्भर करता है।दूसरे शब्दों में, 'भौतिक तथ्य' वे तथ्य हैं जिन पर वादी की कार्रवाई का कारण या प्रतिवादी का बचाव निर्भर करता है।किन विवरणों को 'भौतिक तथ्य' कहा जा सकता है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा तथा सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है।हालाँकि, यह बिल्कुल आवश्यक है कि समस्त बुनियादी तथा प्राथमिक तथ्य जो कार्रवाई या बचाव के कारण के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए पक्ष द्वारा मुकदमे में साबित किए जाने चाहिए, वे भौतिक तथ्य हैं तथा पक्ष द्वारा अभिवचन में बताए जाने चाहिए ताकि कार्रवाई या बचाव के कारण के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए पक्ष द्वारा विचारण में साबित किया जाना चाहिए तथा पक्ष द्वारा अभिवचन में कहा जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33. हालाँकि, 'भौतिक तथ्यों' तथा 'विशिष्टताओं' मध्य के अंतर को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।''भौतिक तथ्य' प्राथमिक या बुनियादी तथ्य हैं जिन्हें वादी या प्रतिवादी द्वारा अपनी कार्रवाई या बचाव के कारण को साबित करने के लिए उसके द्वारा स्थापित मामले के समर्थन में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।'दूसरी ओर, 'विवरण' पक्ष द्वारा अनुरोध किए गए भौतिक तथ्यों के समर्थन में विवरण हैं।वे पहले से खींची गई तस्वीर की मूल रूपरेखा को विशिष्ट स्पर्श देकर भौतिक तथ्यों को बढ़ाते हैं, परिष्कृत करते हैं तथा सुशोभित करते हैं ताकि इसे पूर्ण, अधिक स्पष्ट तथा अधिक जानकारीपूर्ण बनाया जा सके।'इस प्रकार विवरण निष्पक्ष विचारण के संचालन को सुनिश्चित करते हैं तथा विरोधी पक्ष को आश्चर्यचकित नहीं करते हैं।

34. वाद के पक्षकार द्वारा अपने दावे के समर्थन में सभी 'महत्वपूर्ण तथ्यों' का उल्लेख करना अनिवार्य है। चूंकि इसका उद्देश्य विपक्षी पक्ष को उसके मामले की जानकारी देना है, इसलिए तथ्यों का उल्लेख न होने पर किसी पक्षकार को साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अतः, एक भी महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख न करने पर मुकदमा या याचिका खारिज कर दी जाएगी। दूसरी ओर, विवरण वे तथ्य होते हैं जो विचारण की सुनवाई के दौरान पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य के रूप में होते हैं।"

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनिल वासुदेवसालगांवकर बनाम नरेश कुशली शिगांवकर के मामले में, (2009) 9 एससीसी 310 में कंडिका 62 और 63 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया:––

"62. यह स्थापित विधिक स्थिति है कि सभी "महत्वपूर्ण तथ्यों" को पक्षकार द्वारा परिसीमा अवधि के भीतर अपने द्वारा स्थापित मामले के समर्थन में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।चूंकि उद्देश्य और प्रयोजन विपक्षी पक्ष को उस मामले से अवगत कराना है जिसका उसे सामना करना है, इसलिए तथ्यों को प्रस्तुत किए बिना, किसी पक्षकार को साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"एक भी महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख न होने पर चुनाव याचिका खारिज कर दी जाएगी।

63. चुनाव याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए "महत्वपूर्ण तथ्यों" का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और सिविल प्रक्रिया संहिता में "महत्वपूर्ण तथ्यों" की कोई परिभाषा नहीं दी गई है।कई निर्णयों में इस न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी पूर्ण वाद–विवाद को तैयार करने के लिए आवश्यक सभी तथ्यों को "महत्वपूर्ण तथ्य" कहा जाना चाहिए।किसी पक्ष द्वारा वाद या बचाव के आधार पर दावा साबित करने के लिए सिद्ध किए जाने वाले सभी मूलभूत और प्राथमिक तथ्य महत्वपूर्ण तथ्य कहलाते हैं। "महत्वपूर्ण तथ्य" से तात्पर्य उन सभी तथ्यों से है जो किसी दावे का पूर्ण आधार बनते हैं।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. उपरोक्त स्थिति और चुनाव याचिका में किए गए कथनों के आलोक में, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने कुछ अनियमितताओं या अवैधताओं का आरोप लगाया है जो चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकती हैं, हालांकि पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का मूल्यांकन करते समय इस न्यायालय द्वारा इसकी सत्यता और शुद्धता का पता लगाना आवश्यक है।चुनाव याचिका के कंडिका 8 से 12 में दिए गए कथनों से, इस न्यायालय की राय है कि प्रतिवादी संख्या 1 के चुनाव पर आपत्ति करने के आधारों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य मौजूद हैं और याचिकाकर्ता ने उन "महत्वपूर्ण तथ्यों" का संक्षिप्त विवरण दिया है जिन पर वह निर्भर करता है।याचिकाकर्ता ने निर्वाचन याचिका में वे सभी तथ्य प्रस्तुत किए हैं जो किसी भी पक्ष द्वारा कार्यवाही का पूर्ण कारण सिद्ध करने के लिए आवश्यक हैं और जिन्हें कार्रवाई का कारण या बचाव स्थापित करने के लिए सिद्ध किया जाना चाहिए। अतः, उत्तरवादी संख्या 1 द्वारा उठाई गई यह आपत्ति कि भ्रष्ट आचरण के संबंध में निर्वाचन याचिका में कोई तर्क न होने के कारण निर्वाचन याचिका विचारणीय नहीं है, खारिज कर दी जानी चाहिए।

17. उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन कि संपूर्ण आरोप भारतीय निर्वाचन आयोग के विरुद्ध है, जबकि उसे चुनाव कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया गया है, भ्रामक है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अधिनियम, 1951 की धारा 82 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निर्वाचन आयोग को चुनाव याचिका में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है।अधिनियम, 1951 की धारा 82 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती है कि यदि कोई उम्मीदवार यह घोषणा करने का दावा करता है कि सभी या किसी भी निर्वाचित उम्मीदवार का चुनाव अमान्य है, या वह स्वयं या किसी अन्य उम्मीदवार के विधिवत निर्वाचित होने की घोषणा का दावा करता है, तो याचिकाकर्ता के अलावा सभी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, और यदि ऐसी कोई अतिरिक्त घोषणा का दावा नहीं किया जाता है, तो सभी निर्वाचित उम्मीदवार; और कोई अन्य उम्मीदवार जिसके विरुद्ध याचिका में किसी भी प्रकार के भ्रष्ट आचरण के आरोप लगाए गए हैं, तो उन सभी उम्मीदवारों पर यह दावा लागू होगा।यह प्रावधान

भारतीय चुनाव आयोग को मामले में पक्षकार बनाने का कोई प्रावधान नहीं करता है, क्योंकि अधिनियम, 1951 के तहत इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जो कि एक स्व–निहित कानून है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हुकुमदेव नारायण यादव (उपरोक्त) मामले में कहा है।अतः, उत्तरवादी संख्या 1 द्वारा उठाई गई यह आपत्ति कि भारत निर्वाचन आयोग को इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया है, खारिज किए जाने योग्य है।

18. यह न्यायालय इस बात पर विचार कर रहा है कि चुनाव याचिका अधिनियम, 1951 की धारा 81 का उल्लंघन करते हुए दायर की गई है।इस विवाद्यक की जांच के लिए, न्यायालय के लिए अधिनियम, 1951 की धारा 81 से 83 और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय नियम 2007 के नियम 295 को उद्धृत करना उचित होगा, जो इस प्रकार हैं:

"81. याचिकाओं की प्रस्तुति।— (1) निर्वाचन याचिकाकिसी निर्वाचन पर प्रश्न उठाने वाली याचिका धारा 100 की उपधारा (1) और धारा 101 में निर्दिष्ट एक या अधिक आधारों पर उच्च न्यायालय में ऐसे चुनाव में किसी उम्मीदवार या किसी मतदाता द्वारा निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर प्रस्तुत की जा सकती है, लेकिन इससे पहले नहीं, या यदि चुनाव में एक से अधिक निर्वाचित उम्मीदवार हैं और उनके चुनाव की तारीखें अलग–अलग हैं, तो उन दो तारीखों में से बाद वाली तारीख।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

स्पष्टीकरण

इस उपधारा में, "मतदाता" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो उस चुनाव में मतदान करने का हकदार था जिससे चुनाव याचिका संबंधित है, चाहे उसने ऐसे चुनाव में मतदान किया हो या नहीं।

(2) ....(विलोपित)

(3) प्रत्येक चुनाव याचिका के साथ याचिका में उल्लिखित प्रतिवादियों की संख्या के बराबर प्रतियां संलग्न की जाएंगी, और ऐसी प्रत्येक प्रति याचिकाकर्ता द्वारा अपने हस्ताक्षर के तहत याचिका की सही प्रति होने के रूप में सत्यापित की जाएगी।"

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय नियम 2007 का नियम 295:

"295. (1) प्रत्येक निर्वाचन याचिका, जो सभी दृष्टियों से पूर्ण हो, बिलासपुर स्थित उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार (न्यायिक) के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(2) निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम, उसके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली क्षमता का विवरण, प्रस्तुति की तिथि और समय तथा कोई अन्य आवश्यक समझी जाने वाली जानकारी रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा याचिका के प्रथम पृष्ठ के हाशिये पर अपने हस्ताक्षर के तहत अंकित की जाएगी।

(3) रजिस्ट्रार (न्यायिक) याचिका की जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अधिनियम और इन नियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है।

(4) जब जांच के बाद रजिस्ट्रार (न्यायिक) इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि याचिका अधिनियम/नियमों के अनुसार सभी दृष्टियों से पूर्ण है, तो वह इसे प्रमाणित करेगा।"

19. इस विवाद्यक की पुष्टि करने के लिए इस न्यायालय ने याचिका दाखिल करने के अभिलेख का अध्ययन किया, जिसमें पाया गया कि याचिकाकर्ता ने अपने वकील के साथ याचिका दाखिल की थी, जैसा कि इस न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) के दिनांक 18-7-2024 के आदेश पत्र से परिलक्षित होता है, जो इस प्रकार है:

"18-07-2024.

आज अर्थात्18-7-2024 को दोपहर लगभग 4:25 बजे बिरेष ठाकुर, पुत्र सत्यनारायण सिंह, उम्र लगभग 56 वर्ष, निवासी मकान संख्या 169, वार्ड संख्या 9, ठाकुर पारा, कांकेर, जिला उत्तर बस्तर (सीजी) ने अधिवक्ता श्री इमरान अहमद खान के साथ (जनप्रतिनिधित्व अधिनियम अधिनियम, 1951 की धारा 80 और 80 ए के तहत निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की है, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र संख्या 11 के संसदीय चुनाव को चुनौती दी गई है और उसे रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में डाले गए मतों की पुनर्गणना और गुंडार्देही-61 के 15 बूथों, संजारी बलोद-59 के 2 बूथों, डोंडी लोहारा एसटी-60 के 10 विधानसभा बूथों, गुंडार्देही-61 के भेंगारी विधानसभा बूथ संख्या 157 और कांकेर-81 विधानसभा क्षेत्र के पेंद्रावन विधानसभा बूथ संख्या 188 पर पुन: चुनाव कराने का अनुरोध किया गया है। वैकल्पिक रूप से, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कांकेर-11 में पूर्ण पुन: चुनाव कराने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।कार्यालय को उच्च न्यायालय नियम 2007 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 को देखते हुए याचिका की जांच करने तथा आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया है।पंजीयक (न्यायिक) "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. इसके बाद, याचिकाकर्ता कार्यालय नोट से परिलक्षित चूक को हटाने हेतु 29-8-2024 पर इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है।इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि चुनाव याचिका याचिकाकर्ता द्वारा अपने वकील के साथ प्रस्तुत की गई थी, इसलिए अधिनियम, 1951 की धारा 81 का पर्याप्त अनुपालन किया गया है।अतः, उत्तरवादी संख्या 1 द्वारा उठाई गई यह आपत्ति कि अधिनियम, 1951 की धारा 81 का अनुपालन नहीं किया गया है, केवल इसी आधार पर चुनाव याचिका खारिज किए जाने योग्य है, अस्वीकार किए जाने के योग्य है और तदनुसार इसे अस्वीकार कर दिया जाता है।

21. उपरोक्त अवलोकन के आलोक में, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता द्वारा आवश्यक तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, इस प्रकार जनजातीय मुद्दे पाए गए हैं जिन पर याचिकाकर्ता ने चुनाव याचिका दायर की है और आवश्यक पक्षकारों का कोई अभाव नहीं है जिसके कारण चुनाव याचिका खारिज की जा सके। अतः, मेरा मत है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर आवेदन पर आपत्ति खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

22. 3 नवंबर, 2025 को योग्यता पर आगे की सुनवाई हेतु इस मामले को सूचीबद्ध करें।

सही/–

(नरेंद्र कुमार व्यास)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक*

*प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur